अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 135 / 2011

भूवनेश्वर राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,सोनपुर, सारण।)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.06.2015	यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के ज्ञापांक 1019 / आ0 दिनांक 19.11.11 के विरूद्ध दाखिल है। यह माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल वाद सं0 17235 / 2014 में दाखिल वाद से संबंधित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.10.2011 को 11.20 बजे पूर्वाहन् में श्री सुधीर कुमार भुमि सुधार उप समाहर्ता सोनपुर के द्वारा भूवनेश्वर राय जनवितरण प्रणाली विकेता, अनुज्ञप्ति सं0 8 / 07 ग्राम पंचायत पोझी प्रखंड दरियापुर की दूकान की जॉच की गई। जॉच के कम में, निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः– 1. दूकान बंद पाई गई। 2. विकेता के द्वारा खाद्यान्न कम दिया जाता है, एवं निर्धारित मूल्य से अधिक लिया जाता है। 3. वितरण असंतोषजनक। उक्त अनियमितताओ के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 917 / आ0 दिनांक 11.11.11 के द्वारा विकेता से कारण पृच्छा किया गया। विकेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसे असंतोषजनक पाकर अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर के द्वारा अपने ज्ञापांक 1019 आ0 दिनांक 19.11.11 के द्वारा विकेता की	

अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि जॉच की तिथि 25.10.11 को विक्रेता सरकार द्वारा निर्धारित समय तक अपने दूकान पर थे। उस समय तक कोई भी पदाधिकारी जॉच के लिए नही पहुँचे। विक्रेता दिपावली का समान खरीदने बाजार चला गया था। विक्रेता के विरूद्ध लगाया गया सभी आरोप गलत है। विक्रेता के द्वारा अनुदानित सामग्रियों का ससमय उठाव कर पंचायत स्तरीय निगरानी समिति की देखरेख में उपभोक्ताओ से कूपन प्राप्त कर उचित मूल्य एवं निर्धारित मात्रा में वितरण कार्य किया जाता है। साक्ष्य के रूप में निगरानी समिति के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित पंजी की प्रति विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता जान बूझकर जॉच के समय अनुपस्थित रहे। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रदद् रखा जाना उचित होगा।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर –सह– अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (1019 आ0 दिनांक 19.11.11) एक मुखर आदेश (Speaking Order) नहीं है। जॉच के कम में दूकान यदि बन्द पाई गई तो अनुज्ञापन पदाधिकारी को चाहिए था कि एक तिथि निर्धारित कर विक्रेता को सभी कागजात एवं पंजियों के साथ कार्यालय में बुलाते एवं उनकी जॉच की जाती और यदि जॉच मे कोई अनियमितता पाई जाती तो कारण पृच्छा करते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए थी। अभिलेख मे कुछ उपभोक्ताओं के बयान भी रक्षित है, जिसकी प्रति अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता को उपलब्ध नहीं करायी गयी या न ही उनका नाम एवं उनके द्वारा लगाये गए आरोपो का उल्लेख ही अपने कारण पृच्छा में किया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कारण पृच्छा एवं अंतिम आदेश का एक टंकित प्रपत्र तैयार कर रखा गया हैं, जिसमें उनके द्वारा विकेता का नाम आदि भरकर पत्र/आदेश निर्गत किया जाता है। इस वजह से उनके आदेश में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं की प्रविष्टि नहीं हो पाती है। निर्देश है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी भविष्य में इसकी पुनरावृति न करें।

अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए इस आदेश के साथ इस अभिलेख को रिमांड किया जाता है कि उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति विकेता को उपलब्ध कराते हुये सभी प्रासंगिक बिन्दुओं पर कारण पृच्छा किया जाय, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाय एवं अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर विकेता से प्राप्त जवाब के आलोक में एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित किया जाय।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 392 /दिनांक 10/6/15/

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।